



unicef  
for every child

# बाल कानून एवं प्रक्रियाएँ



अपराध अनुसंधान विभाग

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर





पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर- 492002

फोन : 0771-2221100

फैक्स: 0771-2211201

**अशोक जुनेजा** (भा.पु.से.)

पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़

## संदेश

बच्चे किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं तथा उन्हें संरक्षित रखने से देश की बुनियाद मजबूत होती है। यदि बच्चों की सामाजिक स्थिति की बात की जाये तो आज भी इस सभ्य समाज में हमारे बच्चों को अनेक व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति एवं अश्लील चित्रण जैसे अपराध प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। इन अत्याचारों/कुरीतियों को जड़मूल समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं। एक ओर जहाँ बच्चों के ऊपर घटित होने वाले अपराधों से उन्हें संरक्षित रखने में ये कानून कारगर हैं, वहीं दूसरी ओर कोई बालक विधिविरुद्ध कार्य करता है, तो बाल्यावस्था में होने वाली चूक से उसका भविष्य बाधित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम कानून अधिसूचित किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इस पुस्तिका में बच्चों के साथ होने वाले अपराधों, विद्यमान कानून, पुलिस के कर्तव्यों, शासकीय योजनाओं आदि को विस्तारित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारी के लिये काफी मददगार साबित होगा।

(अशोक जुनेजा)



unicef   
for every child

## जॉब जकारिया

प्रदेश प्रमुख  
यूनिसेफ, छत्तीसगढ़

## संदेश

बच्चों की सुरक्षा और सर्वांगीण विकास यूनिसेफ की नींव रखता है - इसी कड़ी में हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ हमारी यह साझेदारी जो कि बच्चों के हितों और सुरक्षा को और मजबूती से उनकी ओर पहुँचने का प्रयास कर रही है आज एक और कदम लेने जा रही है।

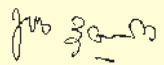
इस कड़ी में पहले टोल फ्री पुलिस चाइल्ड हेल्पलाइन (1800-123-6010), 10 बाल संरक्षण वीडियोज़, पुलिस एवं नागरिकों के लिए बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण पर ऑनलाइन कोर्स और अभिव्यक्ति जैसी कुछ पहल महत्वपूर्ण मील के पथर साबित हुई हैं।

कहा जाता है “एक पुलिस अधिकारी कभी ड्यूटी से दूर नहीं होता” - यह कथन वास्तविकता से दूर नहीं।

पुलिस एक ऐसा तंत्र है जो कि जनता के सबसे सीधे संपर्क में रहता है। ऐसे में किसी भी मुसीबत ग्रस्त बच्चे के लिए भी पुलिस ही पहला संपर्क - बिन्दु (पॉइंट ऑफ़कान्टैक्ट) होती है। अनेक लहजों से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बाल संरक्षण प्रणाली में पुलिस के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए, किशोर न्याय अधिनियम (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 प्रक्रियाओं और प्रणालियों को अधिक बाल-अनुकूल बनाने पर जोर देता है। अधिनियम राज्य सरकारों को राज्य के प्रत्येक जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई बनाने का भी आदेश देता है। साथ ही प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कम से कम एक पुलिस अधिकारी को ‘किशोर या बाल कल्याण अधिकारी’ के रूप में नामित किए जाने का आदेश देता है।

अधिनियम की धारा 107 के तहत आगे यह आवश्यक है कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो अक्सर या विशेष रूप से बच्चों के साथ काम करते हैं या मुख्य रूप से बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की रोकथाम में लगे होते हैं, उन्हें बच्चों के साथ बच्चों के अनुकूल तरीके से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण निर्देश और अभिविन्यास देना आवश्यक है।

इसे ध्यान में रखते हुए यह मार्गदर्शिका आपके लिए बनाई गई है। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तिका आप के लिए एक अच्छे साथी की तरह आपके साथ रहेगी और समय समय पर आपके काम आएगी।

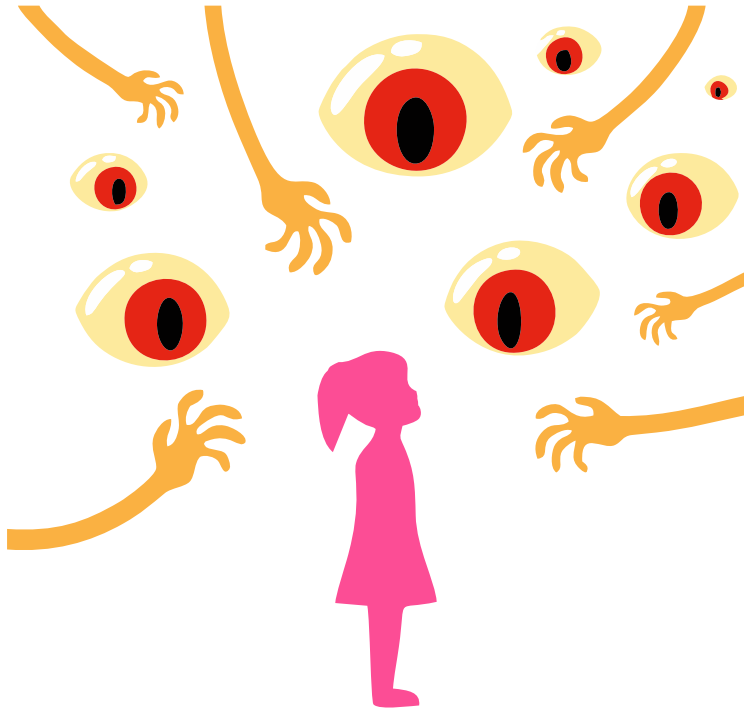
  
(जॉब जकारिया)



## अनुक्रमणिका

| स.क्र. | विषय                       | क्रमांक |
|--------|----------------------------|---------|
| 01     | बालकों के साथ लैंगिक अपराध | 1-8     |
| 02     | बाल श्रम                   | 9-14    |
| 03     | बाल विवाह                  | 15-24   |
| 04     | विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक  | 25-36   |
| 05     | बाल न्याय                  | 37-43   |





# बालकों के साथ लैंगिक अपराध





महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बच्चों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर किये गये एक शोध के अनुसार देश में हर तीन बच्चों में से दो बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं और लगभग 53.2 प्रतिशत बच्चे लैंगिक शोषण का शिकार हुए हैं। उक्त अध्ययन में यह पाया गया कि स्कूल एवं विद्यालयों में 49.9 प्रतिशत बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है जैसे बलात्कार, छेड़खानी, पीछा करना इत्यादि वहीं दूसरी तरफ कारखानों, दुकानों और अन्य स्थानों पर काम करने वाले 61.6 प्रतिशत बच्चे, सड़क पर रहने वाले 54.5 प्रतिशत बच्चे और विभिन्न संस्थाओं में रहने वाले 47 प्रतिशत बच्चे लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए हैं। आज के समय में बच्चों के प्रति लैंगिक दुर्व्यवहार में हुई बढ़ोत्तरी चिंता का विषय है। बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामाजिक बदनामी दबाव और उपेक्षा के कारण पुलिस में दर्ज नहीं हो पाते हैं, जिनमें काफी मामले ऐसे हैं जहाँ शोषण करने वाला व्यक्ति बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार या पहचान वाला होता है। समाज में एक भ्रम है कि बाल यौन शोषण केवल लड़कियों के साथ होता है जबकि कई अध्ययन और रिपोर्ट में यह स्पष्ट हो चुका है कि लड़कियों के साथ-साथ लड़कों के साथ भी लैंगिक दुर्व्यवहार होता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और संशोधित अधिनियम, 2019 का उद्देश्य बच्चों के विरुद्ध लैंगिक हिंसा की रोकथाम को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम में शिकायत दर्ज कराना और पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में बाल मैत्री पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रकरण में समय बंद निस्तारण एवं पीड़ित बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी लड़के या लड़की के साथ किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए कोई भी व्यवहार बाल यौन शोषण कहलाते हैं, जिनमें कुछ निम्नलिखित स्थितियां शामिल हैं :-

- बच्चे के नीचे निजी अंगों को छूना या छेड़छाड़ करना या अपने निजी अंगों को बच्चों से छुआना
- बच्चे के निजी अंगों में शरीर का कोई अंग या वस्तु प्रवेशित करना
- बच्चे को अश्लील फोटो या वीडियो दिखाना और अश्लील बातें करना
- बच्चे के तरफ अश्लील इशारे करना या अपशब्द बोलना
- बच्चे की अश्लील अवस्था में फोटो खींचना एवं वीडियो बनाना
- बच्चे का बार-बार पीछा करना
- अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चों को प्रलोभन देना या तस्करी करना

## बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान भारतीय दण्ड विधान

**धारा 376 :-** अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह बलत्कार की श्रेणी का एक दण्डनीय अपराध है जिसमें 10 वर्ष कठोर कारावास से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास हो सकेगी एवं जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा।

**धारा 354 :-** यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर महिला का शील भंग या अपमान करने के इरादे से यौन उत्पीड़न करता है या किसी महिला को जबरदस्ती या डरा धमकाकर निर्वस्त्र करता है या निजी गतिविधि में व्यस्त महिला को देखता है या किसी महिला की फोटो खींचता है या वीडियो बनाता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध उनसे व्यक्तिगत संपर्क बनाने की कोशिश करता है या उसके इंटरनेट ई-मेल और अन्य संचरण उपकरणों से नज़र रखता है। वह कम से कम तीन वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा

**धारा 509 :-** यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करता है। वह कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास से अधिकतम मृत्युदंड की सजा से दंडित किया जा सकेगा।

## लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

इस अधिनियम के तहत लैंगिक हिंसा बालक-बालिका दोनों के साथ हो सकती है और दुर्व्यवहार करने वाला कोई पुरुष या महिला हो सकती है। लैंगिक हिंसा में बच्चे की सहमति महत्वहीन है और बच्चे की सहमति से यौन संबंध बनाना भी कानूनी अपराध है।

**धारा 4 प्रवेशन लैंगिक हमला :-** बच्चे के निजी अंग में अपना लिंग या कोई वस्तु या शरीर का अंग डालना या बच्चे से ऐसा कराना, बच्चे के शरीर के किसी अंग के साथ इस प्रकार छेड़छाड़ करना जिससे बच्चे के निजी अंग को प्रवेशित हों या बच्चे से ऐसा कराना, बच्चे के निजी अंग पर अपने मुँह को लगाना या बच्चे को अपने साथ ऐसा कराना दण्डनीय अपराध है, जिसमें ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ हिंसा करने पर न्यूनतम सजा 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

**धारा 6 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला :-** बच्चे के साथ सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करना, विकलांग बच्चे या 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर या बच्चे पर एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला करना, प्रवेशन लैंगिक हमले से बालिका को गर्भवती कर देना या शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से अस्वस्थ करना, प्रवेशन लैंगिक हमला करने के बाद बच्चे की हत्या करने की कोशिश करना, प्रवेशन लैंगिक हमला करने के बाद बच्चे को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना। ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 20 साल से अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।



**धारा 8 लैंगिक हमला:-** कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन को बच्चे से छुआता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्ग्रस्त होता हो। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कम से कम तीन वर्ष से अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

**धारा 10 गुरुतर लैंगिक हमला:-** बच्चे के संरक्षण एवं देखभाल के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा बच्चे पर लैंगिक हमला करना, सामूहिक लैंगिक हमला करना, विकलांग बच्चे या 12 साल से कम उम्र के बच्चे पर लैंगिक हमला करना, एक से अधिक बार लैंगिक हमला करना, लैंगिक हमले से बच्चे को शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से अस्वस्थ करना, लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे की हत्या करने का प्रयास करना, लैंगिक हमला करने के पश्चात बच्चे को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना। ऐसा करने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 5 साल से अधिकतम 7 साल तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकेगा।

**धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न:-** कोई शब्द/आवाज/इशारा करना या कोई ऐसी वस्तु या शरीर का अंग दिखाना, लैंगिक इरादे से बच्चे को उसके शरीर या किसी अंग को दिखाने के लिए कहना, किसी भी इरादे से बच्चे को कोई अश्लील लिखित वस्तु या अश्लील विडियो/फिल्म दिखाना, सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या अन्य किसी माध्यम से बच्चे का बार-बार या लगातार पीछा करना, देखना या सम्पर्क करना, मीडिया के किसी रूप में, यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग या बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक, फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य तरीके के जरिये वास्तविक या काल्पनिक फोटो का उपयोग करने की धमकी देना, किसी बच्चे को अश्लील इरादे के लिए लालच देना ऐसा करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 3 साल तक के कारावास की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

**धारा 14 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग:-** अगर कोई व्यक्ति अश्लील प्रयोजन के उद्देश्य से मीडिया के माध्यम, से व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के आशय से, किसी रूप में बच्चे का उपयोग करता है जिसमें बच्चे के निजी अंगों को देखना, वास्तविक या फिर कृत्रिम कार्यों से बच्चे का उपयोग करना, बच्चे की अभद्र या अश्लील प्रस्तुति, अश्लील लेखन प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग करना इत्यादि में सम्मिलित हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कार्य दुबारा या बार-बार करने की स्थिति में उसे अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

**धारा 15 अश्लील सामग्री भण्डारण के लिए दंड:-** अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए बच्चे को सम्मिलित करते हुए किसी भी रूप में कोई अश्लील साहित्य सामग्री का संग्रह करता है उसे अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।

**धारा 17 अपराध का दुष्प्रेषण:-** अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, जानबुझकर अपराध करने में सहायता करना, किसी व्यक्ति का अपराध को करने के लिए किसी साजिश में एक या अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल होना, जिसके बाद अपराध से संबंधित कोई घटना घटित होती हैं। अपराध उकसाने के बाद घटित हो जाता है, तो उकसाने करने वाले व्यक्ति को अपराध हेतु निर्धारित सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।



## पुलिस की भूमिका

- ❖ लैंगिक हिंसा शोषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा खुद का नाम, पद एवं मोबाइल नंबर और अपने उच्च अधिकारी का नाम पद एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए।
- ❖ सूचना प्राप्त होने या ऐसे बच्चे के पाए जाने पर दैनिक डायरी में बच्चे की डीडी एंट्री की जाएगी तथा उन का विवरण संधारित किया जाएगा।
- ❖ अगर बाल यौन शोषण की आशंका के संबंध में सूचना प्राप्त होती है तो अनिवार्यता से थाने स्तर पर संदर्भित रजिस्टर में रिपोर्ट की जाएगी और शिकायतकर्ता को पढ़कर सुनाई जाएगी।
- ❖ अगर किसी व्यक्ति को अधिनियम में वर्णित अपराध के कार्य होने की जानकारी होने के बावजूद भी इस तरह की अपराधों की सूचना नहीं दी जाती है या पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्रवाही होगी।
- ❖ ऐसे अपराधों की घटित होने की संभावना की सूचना पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के तहत तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

## बाल कल्याण समिति के समक्ष बालक का प्रस्तुतिकरण

- ❖ लैंगिक शोषण के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक कॉपी संबंधित जिले के बाल कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- ❖ अगर उस मामले में बाल कल्याण समिति द्वारा एक समर्थन व्यक्ति की नियुक्ति की गई है तो इस संबंध में लिखित सूचना 24 घंटे के अंदर संबंधित न्यायालय को भेजा जाए।
- ❖ अगर बच्चे के साथ अधिनियम में वर्णित कोई अपराध बच्चे के परिवार के किसी सदस्य या बच्चे के साथ रहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया है या करने का प्रयत्न किए जाने की संभावना और यदि बच्चा किसी बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहा है या बालगृह या माता पिता की सहायता के बिना अंकित पाया गया है तो ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर बच्चे को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण के साथ बाल कल्याण समिति में प्रेषित किया जाएगा।

## पहली प्रतिक्रिया

- ❖ बच्चे के साथ लैंगिक हिंसा होने की जानकारी मिलने या ऐसी दुर्व्यवहार होने की आशंका होने पर जल्द से जल्द बच्चे तक पहुँच कर उन्हें संरक्षण में ले।
- ❖ यौन शोषण से पीड़ित बच्चे को तत्काल नजदीकी जिला अस्पताल में भिजवाया जाएगा और बच्चे की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।
- ❖ पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच उसके माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति जिसपर बच्चा भरोसा करता है या संबंधित सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त समर्थन व्यक्ति, की उपस्थिति में ही होगी।



## जांच

- ❖ जांच अधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा तुरंत पीड़ित बच्चे के कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे।
- ❖ जांच अधिकारी द्वारा 24 घंटे के अंदर अपराध स्थल का दौरा कर विस्तृत रूप से साक्ष्य एकत्रित किया जाएगा और यदि कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी है तो उसके भी बयान दर्ज करनी होगी।
- ❖ बच्चे की सही उम्र सत्यापन करने के लिए बच्चे के जन्म संबंधी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं कक्षा की रिपोर्ट, नगर निगम या पंचायत द्वारा इस संबंध में जारी दस्तावेज इत्यादि एकत्रित किया जाएगा।
- ❖ बच्चे द्वारा या बच्चे के माता-पिता या संरक्षक द्वारा व्यक्तिगत उपस्थित होकर सूचना दिए जाने की स्थिति में तत्काल भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए।
- ❖ पीड़ित बच्चे के बयान में मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा और बच्चे के द्वारा दिए गए बयान को दर्ज किया जाएगा और सभी मामलों में ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित की जाएगी।

## बाल मैत्रीपूर्ण प्रक्रियाएं

- ❖ किसी भी बच्चे को शिकायत के लिए थाने पर आने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही किसी भी स्थिति में बच्चे को थाने पर बुलाना चाहिए।
- ❖ बच्चे में विश्वास की भावना पैदा करे ताकि वह वह खुलकर अपनी बात रख पाए और जानकारी आराम से दे पाए।
- ❖ पीड़ित बच्चे के बयान उसके घर या बच्चा जहाँ पर सहज महसूस करें वहाँ उसके परिवारजन या किसी अन्य व्यक्ति जिसपर बच्चा भरोसा करता है, की उपस्थिति में संबंधित एनजीओ के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति द्वारा नियुक्त समर्थन व्यक्ति की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।
- ❖ किसी भी स्थिति में पीड़ित बच्चा और आरोपी संपर्क में नहीं आने चाहिए।
- ❖ हर स्तर पर बाल मैत्री वातावरण और प्रक्रिया अपनाई जानी आवश्यक है जिसमें पीड़ित बच्चे की पहचान किसी स्तर पर सार्वजनिक नहीं करना, और थाने में बच्चे को नहीं रोकना, पीड़ित एवं गवाह की सुरक्षा इत्यादि मुख्य हैं।

## अन्य हितधारकों के साथ समन्वय

- ❖ आवश्यकता अनुसार बच्चे के साथ संवाद और प्रकरण में सहयोग के लिए सपोर्ट पर्सन, मनोचिकित्सक, चिकित्सक, कानूनी विशेषज्ञ, बाल अधिकार विशेषज्ञ, अनुवादक, काउंसलर, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, चाईल्डलाइन और अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं से सहायता प्राप्त करें।
- ❖ चाईल्डलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई के काउंसलर के सहयोग से बच्चे को काउंसलिंग की सेवाएं प्राप्त कराएँ।

## हस्तक्षेप

- ❖ यदि परिवार के सदस्यों द्वारा बच्चे के साथ अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है तो पीड़ित के बयान और कार्रवाही के दौरान परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दे।
- ❖ शिकायत करने वाले व्यक्ति को एफआईआर की एक कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराएं।
- ❖ आरोपी/अपराधी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करें।
- ❖ बच्चे के साथ हुए अपराध के बारे में परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में संवेदनशीलता से जानकारी प्राप्त करें।
- ❖ जांच अधिकारी द्वारा पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को समय-समय पर मामले की स्थिति जैसे अभियुक्त की गिरफ्तारी, चालान पेश किया एवं न्यायालय में प्रकरण इत्यादि से अवगत कराएं।





### पुनर्वास

- ❖ पुलिस द्वारा पीड़ित बच्चे और उनके परिजनों को पीड़ित प्रतिकर योजना और यदि पीड़ित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भी क्षतिपूर्ण रूप में मुआवजा प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ❖ पुलिस जांच अधिकारी द्वारा बच्चे के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम 60 दिन में अनुसंधान किया जाकर संबंधित विशेष न्यायालय चालान में प्रस्तुत करना चाहिए।
- ❖ पीड़ित बच्चे या उसके परिवार को अपराधी व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा डराया या धमकाया जाने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर कार्यवाही किया जाए।
- ❖ पीड़ित बच्चों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होने पर उनको प्राथमिकता से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और ग्राम पंचायत से संपर्क करने में सहयोग प्रदान करें।





# बाल श्रम





बाल श्रम किसी बालक का भविष्य एवं शारीरिक विकास को बाधित करता है। बच्चों का मन कोमल होता है, जिससे वे आसानी से अपराधियों की पहचान नहीं कर पाते और इसी का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा बालकों को घरेलू कार्यों से लेकर लघु उद्योगों, ईंट भट्टा, कारखानों, मोटर गैरेज जैसे जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित कर देते हैं। अक्सर बच्चों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की पूरी पारिश्रमिक एवं भोजन से भी उन्हें वंचित रखा जाता है और उनसे काम लेने का कोई निर्धारित समय नहीं होता, जिससे शिकार हुए बालक का आने वाला पूरा जीवन कष्टमय हो जाता है। बाल श्रम पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिनियमित है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

- बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में वर्ष 2016 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालक - बालिका से कार्य कराना अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही, 14 वर्ष से अधिक एवं 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरी से जोखिम पूर्ण कार्य करवाना भी संज्ञेय अपराध माना गया है।
- अधिनियम के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र का बालक स्कूल समय के अलावा और जोखिम पूर्ण कार्यों के अतिरिक्त, परिवार एवं पारिवारिक प्रतिष्ठानों में सहायता कर सकते हैं।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बालक स्कूल समय के अलावा और जोखिम पूर्ण कार्यों के अतिरिक्त, परिवार एवं पारिवारिक प्रतिष्ठानों में सहायता कर सकते हैं।
- 14 से 18 उम्र के बालक जोखिमपूर्ण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य कर सकते हैं।



### दण्ड का प्रावधान

| विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                      | विरुद्ध                      | दण्ड                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यदि किसी ऐसे बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, को स्कूल के समय परिवार या पारिवारिक प्रतिष्ठानों में कार्य कराया जाता है, जिसके कारण बाल की शिक्षा, शारीरिक व मानसिक विकास आदि प्रभावित होता है या 14 से 18 वर्ष की उम्र के किशोर किशोरी से जोखिमपूर्ण कार्य कराये जाने पर। | माता-पिता या संरक्षक         | पहले अपराध के लिए चेतावनी देकर छोड़ा जायेगा तथा उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जावेगी।                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | यह अपराध पुनः दोहराये जाने की स्थिति में अधिकतम 10 हजार रूपए तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | जो बालक का अभिरक्षक नहीं है। | 6 महीने का कारावास, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | यदि यह अपराध दोहराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है।        |

### बाल श्रमिक की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही

- बाल श्रमिक की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस एवं मानव तस्करी निरोधक इकाई के माध्यम से 24 घंटे के भीतर कार्यवाही कर बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाएगा।
- पुलिस द्वारा उचित अधिनियम एवं धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की जानी चाहिए।
- मुक्त कराए गए बालक की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत की जानी चाहिए।
- बाल तस्करी के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध बालकों को मुक्त कराए गए स्थान / गायब होने के स्थान/बालकों के वर्तमान निवास वाले स्थान में से किसी भी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जा सकेगी। यदि बालक रेलवे परिसर से मुक्त कराया गया है, तो शासकीय रेलवे पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिए।
- पीड़ित बालकों के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग का होने की स्थिति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत भी कार्यवाही की जावेगी।
- प्रत्येक बाल श्रम से पीड़ित बालकों को संबंधित पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर फॉर्म 17 में विवरण सहित बाल कल्याण समिति या ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्यरत समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



- मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का आवश्यकतानुसार बाल कल्याण समिति के आदेश से आयु निर्धारण के लिए चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही बालक को तुरंत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति और मानव तस्करी निरोधक इकाई को भेजी जानी चाहिए, ताकि बालक के लिए समर्थन व्यक्ति (Support Person) की नियुक्ति की जा सके।
- बालश्रम से पीड़ित बालकों को मुक्त कराने हेतु रेस्क्यू ऑपरेशन एवं इसके रोकथाम में स्थानीय पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं मानव तस्करी निरोधक इकाई द्वारा सक्रियता के साथ भाग लिया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी /पुलिस द्वारा बाल कल्याण समिति के माध्यम से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए जांच कार्य लंबित रहने तक यदि उनके माता-पिता या अभिभावक अनुपलब्ध हैं तो, उन्हें बाल देखरेख संस्थान में रखा जाएगा।
- बाल श्रमिक से पीड़ित बालकों के साथ हुए शोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। बालक की शोषण की पूर्ण जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

### जांच और दस्तावेजीकरण

- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 के तहत धारा 161 का कथन पीड़ित बालक के घर या जहाँ पर बालक स्वयं को सहज महसूस करे उसके परिजन की उपस्थिति में या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाना चाहिए जिस पर बालक विश्वास रखता हो।
- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पीड़ित बालकों का संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 का बयान लेखबद्ध किया जाना चाहिए।
- भारत सरकार द्वारा विकसित ‘ट्रैक द मिसिंग चाईल्ड’ पोर्टल पर पुलिस को प्राप्त होने वाले बालक-बालिका का विवरण तत्काल एंट्री किया जाना चाहिए।
- बाल कल्याण समिति नियमानुसार मामले की जांच एवं निस्तारण हेतु बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (Social Background Report) तैयार करवाकर उचित पुनर्वास सुनिश्चित करेगी।
- बाल तस्करी सहित बालकों के विरुद्ध अपराध के प्रकरणों का विचारण बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत अधिकृत बाल न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज किए जाने के यथा शीघ्र बाल न्यायालय (चिल्ड्रेन कोर्ट) में चालान प्रस्तुत किया जाएगा।

## बाल मैत्री पूर्ण कार्यवाही

- प्रत्येक स्तर पर बाल मैत्री वातावरण एवं प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान मुख्य हैं :-
  - बालकों को रात्रि के समय पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा।
  - पीड़ित एवं गवाह की सुरक्षा की जानी चाहिए।
  - बच्चे के साथ संवाद एवं प्रकरण में सहयोग के लिए :- मनोचिकित्सक, विशेष शिक्षक, कानूनी एवं अन्य विशेषज्ञ, अनुवादक, परामर्शदाता, चाईल्डलाइन 1098, स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि की सहायता ली जानी चाहिए।
- बाल श्रम एवं बाल तस्करी के सभी मामलों की जांच पुलिस थाने में संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा।

## निगरानी और रोकथाम के उपाय

- थाना क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों की लगातार पहचान कर उन्हें मुक्त कराने के लिए पुलिस द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।
- बाल श्रम एवं बाल तस्करी की रोकथाम हेतु स्थानीय कारखानों, कार / मोटर सायकल वर्कशॉप, ईट भट्टों, ढाबों, खदानों इत्यादि पर नियमित रूप से निगरानी एवं छापेमारी की जानी चाहिए।
- बाल तस्करी के मुख्य माध्यमों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, निजी वाहन स्टैंड, प्लेसमेंट एजेंसियों, इत्यादि पर भी विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।
- रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी पुलिस के सहयोग से बाल तस्करी की रोकथाम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर स्थापित पुलिस सहायता केंद्र की मदद से रेल के माध्यम से अधिक संख्या में बालकों को ले जाने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की जानी चाहिए।
- बाल तस्करी की रोकथाम हेतु नियमित अंतराल पर डिर्कोय ऑपरेशन भी संचालित किए जाएंगे, ताकि बाल तस्करी कर रहे व्यक्तियों की पहचान कर बालकों को मुक्त कराया जा सके।
- बालकों को कार्यों में नियोजित करने वाले एवं उनकी तस्करी करने वाले व्यक्तियों एवं दलालों के खिलाफ समयसीमा पर जांच / अनुसंधान पूर्ण किया जाना चाहिए।



## रोकथाम के लिए अन्य हितधारक

- बालकों की संख्या अधिक होने अथवा व्यापक स्तर पर तस्करी होने की संभावना होने की स्थिति में सभी संबंधित हितधारक संस्थाओं के साथ कार्यदल गठित कर बालकों को मुक्त कराया जाएगा। बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के संबंध में गठित टास्क फोर्स / जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
- बाल तस्करी में अन्य राज्यों के व्यक्तियों के शामिल होने पर इसकी रोकथाम में सम्बन्धित राज्य की मानव तस्करी निरोधक इकाई / स्थानीय पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए।

## पुनर्वास

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों/निकायों जैसे रेलवे प्रशासन, परिवहन विभाग आदि से बाल श्रमिक सुरक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में सहायता ली जाएगी।
- बाल श्रमिकों के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अधिक खराब होने पर उन्हें विशेष योजना के तहत राशन, आवास एवं परिवार में किसी वयस्क को रोजगार/व्यवसाय दिलाने की व्यवस्था तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। बाल श्रमिक के परिवार के वयस्क सदस्यों को मनरेगा आदि विकास योजनाओं के तहत प्राथमिकता से कार्य उपलब्ध कराया जाएगा।
- बाल श्रमिकों को शिक्षा विभाग के सहयोग से विद्यालय/आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। इनमें लिंग, धर्म अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र की अड़चन नहीं लगाई जाएगी। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए बाल कल्याण समिति को शामिल किया जा सकता है।
- अधिक बाल श्रम की संभावना वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय एवं आमजन में बाल श्रम की रोकथाम एवं बालकों को प्रदाय की जाने वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।





# बाल विवाह



इस आधुनिक समाज में बालक के विकास में बाल विवाह एक बड़ी बाधा है। आज भी बाल विवाह कई समुदायों में सामाजिक परम्परा के स्वरूप में प्रचलित है। ( बालक से तात्पर्य बालक व बालिका दोनों से है )

- बाल विवाह बालकों के अधिकारों का एक खुला उल्लंघन है। सभी बालकों को संपूर्ण देखभाल एवं संरक्षण का अधिकार होता है, भले ही वह किसी भी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो।
- बाल विवाह से प्रभावित बालकों को अन्य बालक से अधिक देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2016 - 2030 की अवधि के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों ( एस.डी.जी. ) में महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत कम उम्र में विवाह, जबरन एवं बाल विवाह को समाप्त करना भी शामिल है।
- राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 एवं बालकों के लिए राष्ट्रीय कार्य. योजना, 2016 में बालक के संरक्षण के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम पर विशेष जोर दिया गया है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 ( 2015-2016 ) की रिपोर्ट के अनुसार देश में 26% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व कर दी जाती है।

### बाल विवाह का कारण

समाज में बालिका को बोझ मानने की मानसिकता होने के कारण बालिका को विवाह कर परिवार जल्द से जल्द इस बोझ से मुक्त होना चाहता है।

- इस प्रथा के पक्ष में परिवार एवं समुदाय की यह दलील होती है कि अगर बालिका का बचपन में ही विवाह कर दिया जाए तो दहेज कम देना पड़ता है।
- बालिकाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए भी समुदाय बाल विवाह के पक्ष में तर्क देते हैं। इससे यह बात भी छिप जाती है कि वे खुद अपनी बालिका को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की हालत में नहीं हैं।
- समाज में बाल विवाह शादी से पहले बालिका की शुचिता और कौमार्यता सुनिश्चित रखने का एक तरीका माना जाता है।
- सामाजिक और आर्थिक तौर पर बालिका का भविष्य सुरक्षित करने के लिए परिवार शादी को एक कारगर उपाय मानते हैं।
- बाल विवाह के प्रमुख कारकों में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव भी है।

## बाल विवाह के परिणाम

- बाल विवाह से बालकों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा प्राप्त करने और हिंसा एवं उत्पीड़न से संरक्षण के अधिकारों का हनन होता है। विवाह की व्यवस्था वैवाहिक जोड़ों पर विशेष प्रकार की सामाजिक जिम्मेदारियां सौंप देती है, जिसके लिए बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं।
- मुख्यतः बालिकाएं असुरक्षित यौन गतिविधियों की शिकार हो जाती हैं।
- समुदाय में मान्यता है कि अगर बालिकाओं का जल्द विवाह कर दिया जाए, तो उन्हें हिंसा से बचाया जा सकता है। ऐसे माता-पिता यह नहीं समझते कि बाल विवाह वास्तव में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के लम्बे सिलसिले का रास्ता खोल देती है।
- बाल विवाह बालिकाओं के व्यावसायिक यौन शोषण, जबरन श्रम या अन्य उद्देश्यों के लिए उनकी खरीद-फरोख्त की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है।
- बाल विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। शादी की वजह से बहुत सारे बालक अनपढ़ और अकुशल रह जाते हैं, जिससे उनके सामने अच्छे रोजगार और भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की संभावना क्षीण हो जाती है।
- बालिकाएं अक्सर अपने संगी-साथियों से बिछड़ जाती हैं। इस तरह के सामाजिक अलगाव से उनके सामने नई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं, जो उनके स्वास्थ्य, विकास और खुशहाली की प्रगति को रोकती हैं।





## बाल विवाह रोकने के कानूनी प्रावधान

### बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

देश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने तथा इससे प्रभावित बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रमुख कानून के रूप में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू किया गया है।

- यह अधिनियम दिनांक 01 नवंबर, 2007 से पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के कुछ स्थानों को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रभावशील है।
- इस अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु बालकों के लिए 21 वर्ष और बालिकाओं के लिए 18 वर्ष प्रावधानित है।
- अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैरजमानतीय हैं।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 382/2013 में अक्टूबर, 2017 में पारित आदेश के अनुसार बाल विवाह से प्रभावित बालिकाओं के जीवन पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उनके साथ बाल्यावस्था में होने वाली लैंगिक हिंसा को बलात्कार माना गया है।

## बाल विवाह करने या इसे प्रोत्साहित करने वाले लोगों के लिए कानूनी प्रावधान

- धारा 9:- यदि कोई पुरुष 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद बाल विवाह करता है, तो यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- धारा 10:- बाल विवाह करना या इसका आयोजन करना या बाल विवाह करवाने के लिए दुष्प्रेरण करना अपराध माना जाएगा, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि उसे यह विश्वास था कि ऐसा विवाह बाल विवाह नहीं था। ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा तथा एक लाख रुपये से दंडित किया जा सकता है।
- धारा 11:- कोई व्यक्ति ऐसे बालक के बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है या बाल विवाह करने के लिए निर्देश देता है या ऐसे बाल विवाह का आयोजन करता है तथा उपेक्षापूर्वक ऐसे विवाह को रोकने में असफल रहता या किसी भी रूप में (रिश्तेदार, बारातियों, पंडित, हलवाई, टेंटवाले, बैण्डबाजा आदि) बाल विवाह में भाग लेता है, तो यह दंडनीय अपराध है एवं इस धारा के अधीन 2 वर्ष तक कठोर कारावास की सजा तथा एक लाख रुपये से दंडित किया जा सकता है, परन्तु महिला को केवल जुर्माना से दंडित किया जायेगा।

## निषेधाज्ञा

- धारा 13 (1) बाल विवाह करने की सोची समझी साजिश होने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी या किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत शिकायत अथवा सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा जारी किया जा सकेगा।
- धारा 13 (3) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर भी निषेधाज्ञा जारी किया जा सकेगा।
- धारा 13 (6) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संगठन के किसी भी व्यक्ति या सदस्य के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने से पहले संबंधित व्यक्ति/संगठन को सूचित किया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में बिना पूर्व सूचना के मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा जारी किया जा सकेगा।
- धारा 13 (10) यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए जारी निषेधाज्ञा (व्यादेश) की अवहेलना करता है। वह 2 वर्ष तक के कारावास की सजा या ₹ 1,00,000 तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा, परन्तु दोषी महिला को केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

## बाल विवाह शून्यीकरण

- धारा 3 (1) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2016 के तहत बाल विवाह शून्यकरणीय है, ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है।
- धारा 3 (1) बाल विवाह को शून्य घोषित करवाने के लिए बाल विवाह से प्रभावित वयस्क बालक या बालिका द्वारा पारिवारिक न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है।
- धारा 3 (2) यदि बालक वयस्क नहीं है, तो उसकी ओर से उसके अभिभावक या कोई दोस्त/परिचित एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के सहयोग से बाल विवाह शून्य करवाने के लिए पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन ऐसे अभिभावक/दोस्त/परिचित का 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है।
- धारा 3 (3) बाल विवाह से प्रभावित बालक-बालिका द्वारा 18 वर्ष (वयस्कता) की आयु प्राप्त करने के दो वर्ष के भीतर अपने विवाह को शून्य करवाने की मांग की जा सकती है।
- धारा 3 (4) पारिवारिक न्यायालय द्वारा आवश्यक जांच के बाद बाल विवाह को शून्य घोषित करने की डिक्री जारी की जा सकेगी। इस दौरान न्यायालय यह भी आदेश जारी कर सकेगा कि दोनों पक्षकार विवाह में प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तु या आभूषण की बराबर रकम और धन लौटा दे।



## निम्न विशेष परिस्थितियों में बाल विवाह

### शून्य माना जाएगा

- धारा 12 (ए) एवं (बी) जहाँ बालक को बहला-फुसलाकर या जबरन या धोखे से उसके अभिभावकों से दूर कर बाल विवाह किया गया है।
- धारा 12 (सी) जहाँ बालक का विवाह के लिए खरीद-फरोख्त की गई है या बालक का विवाह उपरान्त दुर्व्यापार या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है।
- धारा 14 जहाँ बाल विवाह को रोकने के लिए धारा 13 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने के बावजूद भी बाल विवाह किया गया है।

### दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

- समस्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 5, 7, 11, 12 में वर्णित पुलिस अनुसंधान अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाएगा।

### किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016

- धारा 2(14) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के तहत बाल विवाह का आसन्न जोखिम रखने वाले बालकों को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक माना गया है।
- धारा 31 एवं नियम 55 किसी बालक का विवाह किए जाने के खतरे/जोखिम की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस/बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बालक की देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए उसे 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- धारा 36 समिति द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच उपरांत ऐसे बालकों की देखभाल एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## बाल विवाह रोकथाम में पुलिस की भूमिका

देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्न कदम उठाया जाना आवश्यक है :-

बाल विवाह के बारे में कोई भी जानकारी (लिखित या मौखिक) तुरंत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवर्तित होनी चाहिए।

बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) को तुरंत सूचित करें और जांच में उनका समर्थन करें।

अगर बाल विवाह जल्द हो रहा है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को सूचित करें, जो निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं।

बच्चे के लिए एक समर्थन व्यक्ति (Support Person) नियुक्त करने के लिए डीसीपीयू या चार्टर्डलाइन के साथ समन्वय स्थापित करें।

बच्चे से बातचीत करने के लिए एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/एनएम की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

हमेशा बच्चे की तात्कालिक चिकित्सकीय और संरक्षण की आवश्यकताओं को पहले संबोधित करें।

पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1973 की धारा 151 के तहत बाल विवाह करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

पुलिस को संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है।

बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे माने जायेंगे और उन्हें बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जायेगा।



## बाल विवाह के आयोजन की सूचना मिलने पर की जाने वाली कार्यवाही

1. दोनों पक्षों को समझाईश देकर अवगत कराएं कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है तथा अभिभावकों को बाल विवाह न करने की सलाह दें।
2. समुदाय में सम्मानीय व्यक्तियों से बातचीत कर उन्हें बाल विवाह नहीं होने देने की सलाह दें।
3. बालकों से बात करनी चाहिए ताकि उन्हें बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जा सके। बालक को पूरी स्थिति समझाने में मदद करनी चाहिए।
4. बाल विवाह होनी वाली जगहों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए।
5. सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 151 के अंतर्गत पुलिस के पास किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए अपराधियों को गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार होता है।
6. यदि अभिभावक बाल विवाह के आयोजन से पीछे नहीं हटते हैं, तो धारा 13 के अंतर्गत बाल विवाह रोकने के लिए संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर निषेधाज्ञा के लिए निवेदन करना चाहिए।
7. बाल विवाह की जानकारी तत्काल संबंधित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को देंगे ताकि बाल विवाह रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जा सके।
8. दोषियों की सूची बनानी चाहिए, जो बाल विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हों या ऐसे विवाह में शामिल हों।
9. पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।
10. बाल विवाह के जोखिम रखने वाले बालक की देखभाल एवं संरक्षण के लिए 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
11. बालक की देखरेख एवं संरक्षण के लिए पुलिस एवं बाल कल्याण समिति को सहयोग करेंगे।

## बाल विवाह सम्पन्न हो जाने पर की जाने वाली कार्यवाही

1. संपन्न हो चुके विवाह के बारे में सबूत जैसे फोटोग्राफ्स, निमंत्रण पत्र, शादी के संबंध में किए गए भुगतानों की रसीद आदि एकत्रित करनी चाहिए।
2. ऐसे दोषियों की सूची बनानी चाहिए, जो विवाह का जोड़ बिठाने, करवाने, समर्थन देने, सहायता या प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हों या ऐसे विवाह में शामिल हुए हों।
3. पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषियों की गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।
4. पीड़ित बालक के साथ बात बातचीत कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उसे बाल विवाह के शून्यकरण की जानकारी दी जानी चाहिए।
5. बालक की सहमति से शून्यकरण के संबंध में पारिवारिक न्यायालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
6. बालिका को चिकित्सकीय सहायता, कानूनी सहायता, काउंसलिंग, गुजारा भत्ते, पुनर्वास आदि सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएंगे।
7. अगर बच्चा अपने जैविक माता-पिता के साथ ही रहता हो, तो नियमित रूप से अनुवर्तन (फॉलोअप) कराएंगे। बच्चे को उसके घर से अलग करना आखिरी विकल्प के रूप में बच्चे के हित में देखा जायेगा।
8. बच्ची की अनुवर्तन (फॉलोअप) में सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्था की मदद ली जा सकती है।
9. पीड़ित बच्चे के विरुद्ध हुये किसी अन्य अपराध के अनुसंधान/जांच में पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों को सहयोग उपलब्ध कराएंगे।







# विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक





किशोर न्याय (बालकों का देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार ऐसा बालक जिस पर अपराध करने का आरोप है या उसके द्वारा अपराध किया गया है और अपराध किए जाने की दिन को उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, को “विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक” माना गया है।

### बालकों का अपराध की ओर जाने के कुछ प्रमुख कारण

**गरीबी :-** गरीबी बालकों को विकास और विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवसरों से वंचित करती है। गरीबी संबंधी परिस्थितियाँ जैसे भूख, बीमारी, व्यसन, माता-पिता की उपेक्षा यह स्थितियाँ बालकों की मनोदशा को प्रभावित करती हैं। ऐसे बालकों का दूसरों की तुलना में अपराध में शामिल होने का खतरा अधिक होता है।

**आपराधिक पृष्ठभूमि वाले परिवार:-** परिवार के सदस्यों के आपराधिक कृत्य बालक को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी वे स्वयं बालक को अपराधों में शामिल कर लेते हैं। माता-पिता के द्वारा उपेक्षा, बालक के प्रति अपमानजनक व्यवहार व कुपोषण बालक के मन में एक खराब छवि पैदा कर उनके व्यक्तित्व विकास को बाधित कर सकता है, जिससे बालक घर के बाहर नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक आकर्षित हो सकते हैं।

**संगति का प्रभाव :-** ज्यादातर बालक गलत संगति अर्थात् बुरे दोस्तों के साथ होने के कारण कुछ गंदी आदतों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन, जुआ, मद्यपान, अनुचित यौन व्यवहार, शीघ्र धन की कमाने की प्रबल इच्छा, युवा गिरोहों में शामिल होना। ऐसी आदतें अक्सर बालकों को हिंसा और अपराध की ओर ले जाती हैं।

वर्तमान समय में हरसंभव प्रयास किए जाने के बावजूद भी बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने के साथ-साथ बालक आपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जो समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यद्यपि विधिविरुद्ध संघर्षरत बालकों का भविष्य अपराध से प्रभावित ना हो इस हेतु भारत सरकार द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 लागू किए हैं, जो ऐसे बालकों को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

## पुलिस की भूमिका

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 के तहत विभिन्न श्रेणी के बालकों से जुड़े अनेक विषयों में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है :-

- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016 का मूल उद्देश्य बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण एवं प्रक्रिया के तहत बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक को न्याय प्रदान करने एवं देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था तथा बालकों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के हिंसा/शोषण से बालकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है।

- बालकों से जुड़े पुलिस के विभिन्न कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पृथक से नवीन पद सृजित किया गया है एवं प्रत्येक जिले में एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी के प्रभार में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) का गठन तथा सभी पुलिस थानों में सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) मनोनीत किया गया है।

जेजे एक्ट की धारा  
107 एवं आदर्श  
नियम 86 के तहत

- विधिविरुद्ध संघर्षरत बालक के संबंध में दर्ज समस्त मामलों में कार्यवाही एवं अनुसंधान संबंधित पुलिस थाने में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाना प्रावधानित किया गया है (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 107 एवं आदर्श नियम 86)

आदर्श नियम  
8(5) के तहत





## बाल मैत्रीपूर्ण रवैया



बच्चों की परिस्थितियों  
एवं उसकी सामाजिक स्थितियों  
के संदर्भ में कोई पूर्वधारणा या  
पूर्वाग्रह नहीं रखना।

बच्चों की परिस्थितियों के  
लिए केवल उन्हें एवं उनके  
परिवार को ही जिम्मेदार नहीं  
ठहराना।



बच्चों की मानसिक स्थिति  
को ध्यान में रखते हुए  
विनम्रता से व्यवहार करना।

बच्चों को सुनना एवं उनके  
साथ सामान्य अपराधी जैसा  
बर्ताव नहीं करना।



बच्चों का शोषण,  
हिंसा एवं उत्पीड़न  
अस्वीकार्य है।

बच्चों के साथ काम करते  
समय “बच्चे ने ऐसा क्यों किया  
है” न की “बच्चे ने क्या किया  
है” पर ध्यान केंद्रित किया जाए।



## बच्चों के साथ व्यवहार व आचरण



बच्चों में विश्वास  
एवं सुरक्षा की  
भावना पैदा  
करना।



बच्चों के साथ जाति,  
लिंग, रंग, क्षेत्रीयता,  
आर्थिक एवं सामाजिक  
स्थिति के आधार पर  
भेदभाव नहीं करना



बच्चों से बातचीत  
करते समय  
अपमानजनक या  
अशोभनीय भाषा  
का प्रयोग नहीं किया  
जाना।



बच्चों को संबोधित  
करते हुए शारीरिक  
हावभाव, चेहरे के  
भावों, नजरों, बोलचाल  
के लहजे, और आवाज  
के संदर्भ में बाल  
अनुकूल दृष्टिकोण  
अपनाना।



पुलिस कर्मचारियों  
द्वारा बच्चों को  
शारीरिक स्पर्श  
नहीं करना।



बच्चों से हितैषी एवं  
संरक्षक के रूप में  
व्यवहार करना तथा उनके  
हित को सर्वोपरि  
मानना, सम्मान एवं  
समझदारी दिखाते हुए  
यह दर्शाना चाहिए कि  
वह उसके सर्वोत्तम हित  
में कार्य करना चाहते हैं।



## बच्चों के साथ व्यवहार व आचरण

बच्चों को मानसिक  
रूप से प्रताड़ित  
नहीं करना।



बाल कल्याण पुलिस  
अधिकारियों को  
कार्यस्थल पर तंबाकू अथवा  
अन्य मादक पदार्थों का  
सेवन नहीं करना चाहिए।



बच्चों से संवाद करते समय  
मोबाइल/फोन का  
इस्तेमाल नहीं करना।



पुलिस कर्मचारियों  
में बच्चों से संबंधित  
अधिनियमों एवं नियमों  
की जानकारी होना।



बाल कल्याण पुलिस  
अधिकारी का बच्चों से संबंधित  
अधिनियमों एवं नियमों पर  
प्रशिक्षित होना।



## बच्चों के साथ संवाद करते समय वातावरण

1. बच्चों से बातचीत करने के लिए पुलिस थाने में अलग बाल मैत्री स्थान/कमरा होना। अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो तो कोशिश करें की बच्चे से ऐसी जगह बात करें जहाँ अनावश्यक लोग ना हो, शोर शराबा कम हो।
2. जहाँ तक संभव हो बच्चे से थाने में बात ना ही करें।
3. बच्चों की तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनमें भोजन, पानी की व्यवस्था करना शामिल है।
4. बालिकाओं से बातचीत करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना आवश्यक है।
5. पुलिस थाने में नोटिस बोर्ड पर चाईल्डलाइन 1098, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम, नंबर एवं बोर्ड/समिति की बैठने की तिथि एवं निश्चित समय अंकित होना चाहिए।
6. पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर फ्री लीगल ऐड लॉयर, पैरालीगल वॉलेंटियर एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की सूची - नाम और दूरभाष नंबर अंकित होना चाहिए।  
किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 10 के अनुसार पुलिस द्वारा 'विधि से संघर्षरत बालक' को निरुद्ध किए जाने के पश्चात तत्काल पुलिस थाने के नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई की निगरानी में रखा जाना चाहिए।

## पुलिस अधिकारियों की भूमिका

### निरुद्ध करना

- पुलिस द्वारा बच्चे को निरुद्ध किए जाने की कार्यवाही केवल घोर जघन्य अपराधों के मामलों में ही की जानी चाहिए।
- बच्चों द्वारा जघन्य/घोर अपराध या किसी वयस्क के साथ अपराध कारित किए जाने के मामलों के अतिरिक्त छोटे एवं गंभीर अपराधों के मामलों में बच्चे के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं की जानी चाहिए।
- छोटे एवं गंभीर अपराधों के प्रकरणों में बच्चे निरुद्ध किए जाने की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के संबंध में प्राप्त अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में दर्ज की जानी चाहिए।
- छोटी एवं गंभीर अपराधों के प्रकरणों में बच्चे के माता पिता या संरक्षक से नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित फॉर्म - 2 में एक बांड प्राप्त किया जाना चाहिए। (किशोर न्याय बोर्ड द्वारा)
- यदि पुलिस को किसी बच्चे पर अपराध करने का संदेह हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया जायेगा।



### जमानत

- यदि पुलिस थाने स्तर पर बच्चे को जमानत नहीं दी जाती है, तो उसे अधिकतम 24 घंटे के भीतर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- सभी प्रकरणों में आदर्श नियम, 2016 में निर्धारित फॉर्म - 1 में बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट तैयार की जाकर 24 घंटे के भीतर संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को भेजी जानी चाहिए।

### बालक का उम्र निर्धारण (किशोर न्याय अधिनियम धारा 94)

- यदि विधि से संघर्षरत बालक स्वयं को अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु का बताता है एवं तत्काल उम्र के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तथा जांच/अनुसंधान अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर दस्तावेज एकत्रित किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संदेह का लाभ संदिग्ध बच्चे को दिया जाएगा।
- पुलिस अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ग्राम पंचायत/शहरी निकाय द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं अन्य माध्यमों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराध करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है या नहीं।
- यदि किसी संदिग्ध अभियुक्त के अव्यसक होने की संभावना है, तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे वयस्क संदिग्ध अभियुक्त मानकर कार्यवाही नहीं की जाए।

### उम्र निर्धारण के प्रमाण पत्र

- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या सम्बंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र।
- इसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- केवल ऊपर दिए गए दोनों के अभाव में आयु की अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर अस्थि जांच के आधार पर की जानी चाहिए।

### अपराध में बच्चे के साथ कोई वयस्क व्यक्ति होने पर की जानी वाली कार्यवाही

- यदि बच्चा किसी वयस्क व्यक्ति के साथ अपराध में सम्मिलित है, तो नियमानुसार वयस्क एवं बच्चे के मामले का पृथक-पृथक अनुसंधान किया जाएगा। वयस्क अपराधी के विरुद्ध किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 83(2) के तहत भी अनुसंधान किया जाएगा।
- यदि बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अपराध किया गया है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

## विधिविरुद्ध संघर्षरत बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना

- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे को निरुद्ध किए जाने के 24 घंटे के भीतर कार्यालय समय में किशोर न्याय बोर्ड तथा कार्यालय समय के अतिरिक्त किसी भी समय ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्यरत किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के समक्ष बच्चे को निरुद्ध किए जाने के कारण, सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय/मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत नहीं किया जाए।
- यदि किसी कारणवश बच्चे को बोर्ड या बोर्ड के किसी सदस्य के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो बच्चे को जिले में अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा (फिट फैसिलिटी) में रखकर अगले दिन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
- विधि से संघर्षरत बालिकाओं के प्रकरणों में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा तथा बालिका को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा महिला पुलिस कर्मचारी के साथ किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

## बच्चे को निरुद्ध करने की प्रक्रिया

- किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बालिका को सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व निरुद्ध नहीं किया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे के माता पिता या संरक्षक को बच्चे के निरुद्ध किए जाने की सूचना दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तारीख, समय तथा बोर्ड के पते के बारे में भी अवगत कराया जाना चाहिए।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को बच्चे के निरुद्ध किए जाने की सूचना से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे की सामाजिक अन्वेषण/जांच रिपोर्ट तैयार की जा सके और फिर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- बच्चे को हथकड़ी/जंजीर/बेड़ी नहीं पहनाई जाएगी तथा बच्चे पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- पुलिस द्वारा बच्चे को अपराध स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा और ना ही किसी कथन पर बच्चे के हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
- बच्चे के संपर्क में आने एवं कार्यवाही के दौरान अनुसंधान अधिकारी वर्दी में न होकर साधारण कपड़ों में होंगे।



### बालक का आवास

- बच्चे को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश अनुसार उसे संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाया जाना चाहिए।
- बच्चे को किसी भी स्थिति में पुलिस थाने/जेल में नहीं रखा जाना चाहिए।

### बच्चे को अन्य सेवाओं से जोड़ें

- बच्चे को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए।
- प्रकरणों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किसी भी स्थिति में विधि से संघर्षरत बच्चों का नाम, पता, तस्वीर एवं उससे संबंधित जांच को किसी समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया साइट्स एवं अन्य माध्यमों से सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

### दस्तावेजीकरण

- प्रत्येक बच्चे के सुव्यवस्थित केस डायरी/फाईल संधारित की जानी चाहिए, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज एवं परिपत्र सम्मिलित किए जाएं।
- पुलिस द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों के चरित्र सत्यापन में बच्चे द्वारा किए गए अपराधों अथवा पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यदि प्रकरण बंद या निराकृत कर दिया गया हो तो ऐसा करना अधिनियम की धारा 74 के तहत आपराधिक कृत्य माना जाएगा।
- विधि से संघर्षरत बच्चे को पुलिस रिमांड पर नहीं लिया जाएगा।
- यदि कोई बच्चा संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह या सुरक्षित स्थान से भाग जाता है, तो ऐसे मामलों में उन बच्चों को गुमशुदा मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।
- ऐसे बच्चों के मामलों में सहयोग के लिए जिले में स्थापित सभी संबंधितों से समन्वय स्थापित किया जाएगा।

## विधि विरुद्ध बच्चे को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने पर

- यदि विधि से संघर्षरत बच्चा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा प्रतीत होता है तो ऐसे तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट एवं सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट में रेखांकित किया जाकर, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- बच्चे को यथास्थिति आवश्यकतानुसार उपयुक्त चिकित्सा सहायता, दुभाषिया एवं विशेष शिक्षक की सहायता अथवा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
- 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे द्वारा जघन्य अपराध करने के प्रकरण में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बच्चे को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक माह की अवधि में अनुसंधान के दौरान अभिलिखित गवाहों के कथन एवं तैयार किए अन्य दस्तावेज बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि वे अधिनियम के तहत प्रारंभिक आंकलन की कार्यवाही संपादित कर सकें। उक्त दस्तावेजों के प्रति बच्चे या उसके माता पिता एवं संरक्षक को भी उपलब्ध उपलब्ध कराई जाएगी।
- विधि से संघर्षरत बच्चे को समस्त मामलों में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र या अधिकतम दो माह में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- बच्चे को किसी भी स्थिति में प्रतिपक्ष/अन्य व्यक्तियों (जिससे बच्चों को खतरे की संभावना हो), के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा।
- बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर जिले के प्रत्येक पुलिस थाने में
  - नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
  - बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों
  - किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट एवं सदस्यों
  - विशेष किशोर पुलिस इकाई
  - बाल देखरेख संस्थाओं
  - पैरा लीगल वॉलंटियर
  - परिवीक्षा अधिकारी
  - जिला बाल संरक्षण इकाई

के नाम, फोन नंबर, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित होना सुनिश्चित किया जाएगा।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने के नोटिस बोर्ड पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध के समस्त मामले किशोर न्याय बोर्ड द्वारा देखे जाएंगे, प्रदर्शित होना सुनिश्चित किया जाएगा।





# बाल न्याय





बाल न्याय से तात्पर्य उस विधि से है जिससे राज्य बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं संरक्षण करता है। भारत में बाल न्याय का इतिहास प्राचीन है, आधुनिक भारत में बाल न्याय का उद्भव ब्रिटिश काल से है। स्वतंत्रता के उपरांत बाल न्याय का तेजी से विकास और विस्तार हुआ। वर्ष 1960 में आदर्श बाल अधिनियम लागू हुआ, जिसके आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने राज्य के बच्चों के लिए कानून बनाये। वर्ष 1986 में बाल न्याय अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश समान रूप से लागू हुआ। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की संधि 1989 को भारत सरकार द्वारा 1992 में स्वीकार कर लिए जाने के बाद, बाल न्याय का कानून और भी ज्यादा विकसित रूप से बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के रूप से लागू किया गया। 15 वर्षों तक इस कानून का सघन अमलीकरण हुआ और फिर वर्ष 2015 में एक नया कानून बाल न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू कर दिया गया, जो वर्ष 2019 में जम्मू - कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्रों पर भी लागू हो गया। वर्तमान में बाल न्याय का मूल श्रोत किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 हैं। यहीं से बाल न्याय के कानून, सिद्धांत, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं के सूत्र स्थापित होते हैं। यह अधिनियम 15 जनवरी, 2016 से पूरे देश में लागू है।

## बाल न्याय के बुनियादी सिद्धांत

बाल न्याय के बुनियादी सिद्धांत किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अध्याय दो में धारा 3 में वर्णित हैं। इस अधिनियम और इसके तहत निर्मित नियम एवं प्रक्रियाएं इन सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियां एवं पुलिस इत्यादि सभी एजेंसियों को अपने काम, निर्णयों और प्रक्रियाओं में इन आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है।

1. 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, बच्चों को निर्दोष और अपराध भावना मुक्त होने की धारणा रखी जाएगी।
2. बाल न्याय इस दर्शन में आस्था रखेगा कि सभी मनुष्यों के साथ समान गरिमा एवं अधिकार पूर्ण व्यवहार किया जाना है।
3. हर बच्चे को अपनी बात के सुने जाने और अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में सहभागिता रखने का अधिकार होगा और यह भी आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए बच्चे की बातों का संज्ञान भी लिया जायेगा।
4. हर निर्णय और प्रक्रिया का मुख्य ध्येय बालक का सर्वोत्तम हित ही रखा जायेगा।
5. बच्चों की देखभाल, संवर्धन और संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी उसके जन्मदाता परिवार या फिर दत्तक माता-पिता या फिर पालक माता-पिता की होगी।
6. बाल संरक्षण तंत्र के संपर्क में रहने के समय, हर संभव प्रयास किये जायेंगे कि बच्चा सुरक्षित रहे और उसको किसी तरह का नुकसान, शोषण या दुर्व्यवहार का सामना न करना पड़े।



7. बच्चे के जीवन में बाल न्याय कानून का प्रयोग करने की कम से कम जरूरत पड़े और बच्चे को विकास के लिए एक सहयोगी वातावरण मिले, इस हेतु परिवार और समाज में उपलब्ध सभी संसाधनों का प्रयोग करने की भरसक कोशिश की जाएगी।
8. अपमानजनक और विरोधात्मक शब्दावली का प्रयोग बच्चों से सम्बंधित प्रक्रियाओं में नहीं किया जायेगा। अपमानजनक शब्द जैसे अपराधी, अभियुक्त, भगोड़ा, कैदी इत्यादि बच्चों के लिए प्रयोग नहीं किये जायेंगे।
9. स्वयं बच्चे द्वारा या बच्चे के लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति या बाल कल्याण समिति या फिर किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा भी बच्चे के किसी भी अधिकार से विमुक्ति देना न तो अनुमन्य है और न ही वैध।
10. बच्चे के विरुद्ध किसी भी आधार पर, चाहे लिंग, जाति, जन्म स्थान या विकलांगता इत्यादि कुछ भी हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। उदाहरण जैसे कि किसी भी बच्चे को जो भारत में जन्मा न हो, उसे किशोर न्याय कानून में भारतीय बच्चों को जो अधिकार उपलब्ध है, वही मिलेंगे।
11. पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, बच्चे की निजता और गोपनीयता का संरक्षण करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा।
12. बच्चों को संस्थाओं में भेजा जाना अंतिम उपाय है।
13. बाल न्याय तंत्र में आने वाले हर बच्चे को अपने परिवार से यथा शीघ्र मिला दिए जाने का अधिकार है सिवाय तब के जब ऐसा करना बच्चे के लिए हितकर न हो।
14. कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा, अन्य हर मामले में बच्चों का बाल न्याय तंत्र में बना अभिलेख नष्ट कर दिया जायेगा।
15. विधि विरुद्ध किशोरों के मामले बिना न्यायिक प्रक्रियाएं अपनाये निराकरण के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा सिवाय तब के जब ऐसा करना स्वयं उस बच्चे या समाज के हित में न हो।
16. किशोर न्याय कानून के तहत न्यायिक भूमिका में कार्य करने वाले सभी निकाय नैसर्गिक न्याय, पक्षपात रहित सुनवाई एवं ध्वलता के बुनियादी प्रक्रियागत मानकों का अनुसरण करेंगे।

## किशोर न्याय विधि का दायरा, संस्थाएं एवं मुख्य बिंदु

### विधि विरुद्ध किशोर :-

ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु अपराध घटित होने के समय 18 वर्ष पूर्ण न हुयी हो, विधि विरुद्ध किशोर माना जाता है और उस से सम्बंधित कार्यवाही किशोर न्याय कानूनों के अनुसार की जाएगी। ( आदर्श नियम-8 अनुसार )

**देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे :-** किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 14 में वर्णित श्रेणियों में आने वाला बच्चा देखभाल एवम् संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाता है। ऐसे बच्चों में पालक या जन्मदाता द्वारा परित्यक्त, घर से पलायन कर चुके, खोये हुए बच्चे, अनाथ, प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए बच्चे, गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बच्चों जैसे कई तरह के बच्चे जिन्हें राज्य द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत हो, शामिल हैं।



**बाल कल्याण समिति :-** सरकार द्वारा हर जिले के लिए एक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं। इस निकाय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को इस समिति के समक्ष लाया जाता है जहाँ से ऐसे बालकों के सम्बन्ध में आदेश और निर्णय निर्गत किये जाते हैं।

**किशोर न्याय बोर्ड :-** हर जिले में एक किशोर न्याय बोर्ड होती है। इसमें एक न्यायिक अधिकारी और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं। इस निकाय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। विधिविरुद्ध किशोरों को इसी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो ऐसे बालकों के संबंध में निर्णय और कार्यवाही करती है। किसी नाबालिग के पुलिस थाने में गैर-कानूनी तरह से रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक हस्तक्षेप करने की अधिकारिता इस निकाय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है।

**बाल न्यायालय :-** बाल कल्याण समिति और बाल न्याय परिषद् के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने की अधिकारिता बाल न्यायालय को प्राप्त है। यह एक सेशन कोर्ट के दर्जे की अदालत है। जिन मामलों में किसी विधिविरुद्ध किशोर को वयस्क की तरह मुकदमा चलाये जाने हेतु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे मामले भी बाल न्यायालय द्वारा ही सुने जाते हैं।

**विशेष बाल पुलिस इकाई :-** बाल न्याय से सम्बंधित मामलों में पुलिस समन्वय और पुलिस में बाल न्याय कानूनों के सुचारु अनुपालन के लिए हर जिले में विशेष बाल पुलिस इकाई का गठन होता है। पुलिस थानों में नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इस इकाई के पदेन सदस्य होते हैं। इस इकाई का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और इस इकाई में दो सामाजिक कार्यकर्ता भी नियुक्त होते हैं, जिनमें से एक का महिला होना अनिवार्य है।

**बाल कल्याण पुलिस अधिकारी :-** हर थाने कम से कम सहायक उप निरीक्षक स्तर से अन्यून पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। बच्चों से जुड़े थाने के सारे मामले यही अधिकारी देखते हैं, चाहे फिर वह बच्चा विधिविरुद्ध किशोर हो या देखभाल एवं संरक्षण की जरूरतमंद वाला बच्चा या फिर किसी अपराध का पीड़ित बच्चा। इनकी तैनाती अनन्य रूप से सिर्फ बच्चों के मामले देखने के लिए ही होती है और इनको इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित भी किया जाता है।

**बाल देखरेख संस्थाएं :-** बाल न्याय तंत्र में आने वाले बच्चों को आवासीय संस्थाओं में रखना हालाँकि अंतिम उपाय के तौर पर ही प्रस्तावित है फिर भी पुलिस का इन संस्थाओं के प्रकार और उद्देश्यों के बारे में परिचित होना जरूरी है।

## विधिविरुद्ध किशोरों के लिए बाल देखरेख संस्थाएं

- 1. बाल सम्प्रेक्षण गृह** वह गृह है जहाँ ऐसे बच्चों को अल्प समय के लिए आवासित किया जाता है, जब तक की उनकी जमानत न हो जाये।
- 2. विशेष गृह** वह होता है जहाँ सिर्फ उन्हीं विधिविरुद्ध किशोरों को रखा जाता है जिन्होंने अपराध किया है एवं जिनके मामले समाप्त हो चुके हैं और जिनको सांस्थानिक पुनर्वास के लिए रखे जाने का न्यायिक आदेश निर्गत हुआ हो।
- 3. सुरक्षित स्थान** एक ऐसा आवासीय संस्थान है जहाँ कई परिस्थियों में विधिविरुद्ध किशोर आवासित किये जा सकते हैं। आदेश होने पर इसका प्रयोग विशेष मामलों में सम्प्रेक्षण गृह या विशेष गृह के लिए भी हो सकता है। जो बालक किसी भी वजह से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बावजूद रिहा नहीं हो पाते या फिर वे वयस्क हो जाते हैं मामले के दौरान उनको भी यहीं रखा जाता है, जिनकी आयु की जाँच अन्य अदालतों में लंबित हो, उनको भी जेल की बजाये यहीं रखा जाता है। जिन बालकों को वयस्क की तरह मुकदमा चलाये जाने हेतु ट्रांसफर कर दिया जाता है वो भी इसी गृह में आवासित किये जाते हैं। विधि का उल्लंघन करने वाला ऐसा कोई बालक जो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है या सिध्दोष ठहराया गया है।

## देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल देखरेख संस्थायें

- 1. बाल गृह** या तो सरकार द्वारा या फिर सरकार के द्वारा लाइसेंस लेकर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा हर जिले में संस्थापित और संचालित किये जाते हैं। अलग-अलग आयु वर्ग और लिंग के बच्चों के लिए अलग-अलग बाल गृह होते हैं। देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे इन बाल गृहों में बाल कल्याण समिति के आदेश पर अल्प अवधि या दीर्घ अवधि जैसी भी बच्चे की जरूरत हो, के लिए रखे जाते हैं।
- 2. विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी** एक विशेष प्रकार का गृह होता है जहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जाता है जिनके पुनर्वास के लिए दत्तक ग्रहण के विकल्प की संभावना होती है। सामान्य तौर पर ऐसे गृह छोटी आयु के बच्चों और शिशुओं के लिए होते हैं। यहाँ भी बच्चे बाल कल्याण समिति के आदेश पर ही रखे जाते हैं।
- 3. मुक्त आश्रय** किशोर न्याय अधिनियम द्वारा संकल्पित एक अनोखा प्रयोग है जहाँ सड़कों पर जीवन यापन करने वाले बच्चे अपनी सुविधा अनुसार आकर रह सकते हैं। इनको मुक्त आश्रय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाकई में मुक्त ही होते हैं और बच्चों पर यहाँ रहने की कोई बाध्यता नहीं होती। जो बच्चे इन मुक्त आश्रयों में आकर रहते हैं, उनपर धीरे-धीरे प्रयास करके उनको सड़कों के जीवन से मुक्त कराकर किशोर न्याय अधिनियम की प्रक्रियाओं के अनुसार पुनर्वासित करना इन मुक्त आश्रयों का उद्देश्य होता है। सामान्य तौर पर मुक्त आश्रय सरकार की मदद और अनुमति से गैर सरकारी संगठनों द्वारा उन इलाकों में खोले जाते हैं जहाँ सड़कों पर जीवन-यापन करने वाले बच्चे बड़ी संख्या में रहते हैं।



**जिला बाल संरक्षण इकाई :-** बाल न्याय व्यवस्था के गठन, संचालन, प्रशासन के लिए जिला स्तर पर यह इकाई जिला अधिकारी के नियंत्रण और मार्गदर्शन में काम करती है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी अपने जिले में बाल न्याय अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल अफसर होता है जो पुलिस समेत जिले के अन्य सारे विभागों, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड इत्यादि के साथ समन्वय का काम देखता है। इस इकाई में बहुत सारे अन्य अधिकारी जैसे विधिक सह परिबीक्षा अधिकारी, प्रोटेक्शन अधिकारी, काउंसलर इत्यादि भी होते हैं। बाल संरक्षण की दृष्टि से यह बेहद महत्वपूर्ण इकाई है।

## पुलिस के लिए प्रावधान

**किशोर न्याय में पुलिस का प्रशासनिक तंत्र :-** जिले में किशोर न्याय का पुलिस प्रशासन निम्नलिखित दो स्तरों पर काम करता है :-

- 1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) :** हर थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी, जो कि सहायक उप निरीक्षक के पद के नीचे के न हों, को केवल बच्चों के ही मामले देखने के लिए “बाल कल्याण पुलिस अधिकारी” के तौर पर तैनात होना चाहिए।
- 2. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) :** हर जिले में एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होती है जिसमें उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी होते हैं। और साथ में दो समाज सेवक भी होते हैं जिनमें से एक का महिला होना जरूरी है। यह इकाई पूरे जिले में पुलिस और बाल न्याय के सभी मामलों का समन्वय देखती है। थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इस इकाई के सदस्य माने जाते हैं।

## पुलिस के लिए उपयोगी कानूनी प्रावधान

पुलिस से सम्बंधित बाल न्याय के मूल कानून किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के विविध प्रावधानों में उपलब्ध हैं, लेकिन प्रक्रिया और दस्तावेजों के विषय पर स्पष्टता और विधि देने का प्रावधान किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 में वर्णित है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रावधानों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है :-

- ▲ बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड के आदेश न्यायिक आदेश होते हैं। इनको प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती हैं और इन निकायों के द्वारा निर्गत आदेशों की पालना पुलिस को वैसे ही करनी होती है जैसे वो अन्य अदालतों के आदेशों की पालन करते हैं। [ धारा 4(2) और धारा 27(9) ]
- ▲ किसी भी लंबित या निस्तारित मामले में लिस बच्चे का ब्यौरा, चरित्र प्रमाण पत्र या किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी प्रकट करने पर पुलिस पर प्रतिबन्ध है। इसलिए ऐसा कोई भी ब्यौरा पुलिस द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। [ धारा 74(2) ]



- ▲ बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस को वर्दी धारण करने से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सिविल ड्रेस में ही बच्चों के साथ डील करें। [ **नियम 8 (4) एवं 86(5)** ]
- ▲ किसी नाबालिग द्वारा कोई भी अपराध किये जाने की जानकारी या शिकायत मिलने पर प्राथमिकी (FIR) सिर्फ उसी मामले में दर्ज करें जहाँ अभिकथित अपराध में बच्चों के साथ-साथ वयस्क भी शामिल हों या फिर अभिकथित अपराध जघन्य अपराध (Heinous Offence) की श्रेणी में आता हो। अन्य मामलों में केवल डेली डायरी (Daily Diary) के आधार पर आगे की कारवाही करें। [ **नियम 8(1)** ]
- ▲ विवेचना अधिकारी (Investigation Officer) अपराध के अन्वेषण (Investigation) के लिए बच्चों की काउंसलिंग रिपोर्ट (Counseling Report) की मांग बिलकुल न करें और न ही इन रिपोर्टों को अभियोजन या साक्ष्य का आधार बनाएं। यदि बच्चे के द्वारा प्रकट किया गया कोई तथ्य विवेचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उस स्थिति में विवेचना अधिकारी स्वयं ऐसे बच्चे का विधिसम्मत रूप से बयान दर्ज कर सकते हैं। (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल रेफरेन्स 2/2016 मामले में दिए निर्णय के अनुसार)
- ▲ जिन मामलों में आरोपी या पीड़ित के नाबालिग होने का दावा हो या फिर ऐसा होने का संदेह हो, वहां आयु के पक्ष पर विवेचना यथाशीघ्र करनी चाहिए, ब्यौरा रिकॉर्ड पर दर्ज करना चाहिए और सम्बंधित साक्ष्य प्राप्त करने चाहिए। संदेह की स्थिति में व्यक्ति को नाबालिग मान कर कार्यवाही करनी चाहिए और उम्र के सम्बन्ध में आदेश जेजेबी या सीडब्ल्यूसी से प्राप्त करने चाहिए।
- ▲ विधिविरुद्ध संघर्षत किशोर का मामला हो या फिर देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे का मामला, बच्चे के पुलिस के संपर्क में आने के 24 घंटे के अंदर उनकी प्रस्तुति जेजेबी या सीडब्ल्यूसी जैसा भी विहित हो, के समक्ष कर देनी चाहिए। [ **धारा 10(1) एवं धारा 31(1)** ]
- ▲ किसी भी स्थिति में बच्चे को हवालात में न रखा जाये। [ **धारा 10(1)** ]
- ▲ छुट्टी या ऑफिस समय के बाद यदि बच्चों को जेजेबी या सीडब्ल्यूसी में प्रस्तुत करना हो और यह अधिकरण उपलब्ध न हो तो इनके एकल सदस्यों के समक्ष भी बच्चों की प्रस्तुति की जा सकती है। इस प्रयोजन हेतु इन अधिकरणों द्वारा मासिक ड्यूटी रोस्टर (Duty Roster) जारी किया जाता है उसकी जानकारी अपने जिले की विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) के अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है। [ **नियम 6(8), नियम 16(6) एवं नियम 18(1)** ]
- ▲ बाल कल्याण समिति (CWC) में किसी भी बच्चे की प्रस्तुति के लिए आदर्श किशोर न्याय नियम, 2016 में प्रस्तावित प्रपत्र 17 (Form-17) का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को CWC ले जाते समय प्रपत्र 17 भर कर साथ ले जाएं और समिति को सौंप दें। [ **नियम 18(2) एवं नियम 19(25)** ]
- ▲ किशोर न्याय बोर्ड (JJB) में किसी भी बच्चे की प्रस्तुति के लिए आदर्श किशोर न्याय नियम, 2016 में प्रस्तावित प्रपत्र 1 (Form-1) का प्रयोग किया जाता है। बच्चे को JJB ले जाते समय प्रपत्र 1 भर कर साथ ले जाएं और JJB को सौंप दें। [ **नियम 8(1) एवं नियम 8(5)** ]







अपराध अनुसंधान विभाग,  
पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर